न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 21/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक शिव मुख्यावास बाड़मेर		मोतीसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम लंगेरा तहसील बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 25.04.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा द्वारा रूबरू मौतबिरान मैसर्स जय भवानी जोधपुर स्वीट होम,नेशनल हाईव 15,बाड़मेर शहर के व्यवसाय परिसर की जॉच करने पर होटल मालिक मोतीसिंह पुत्र कमलसिंह राजपुरोहित उपस्थित मिला,जिसकी मौजूदगी में होटल की जॉच गई। मौके पर होटल में नाश्ता बनाकर ग्राहकों को विक्रय का कार्य किया जा रहा था वक्त जॉच होटल पर गैस सिलेण्डर नम्बर 1899187 आईओसीएल कम्पनी का व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया, मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु उपयोग के इण्डेन के गैंस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एंव संग्रह करने पर उक्त घरेलु गैंस सिलेण्डर को सीज किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग हेतु संग्रह एंव उपयोग कर द्रवित पैट्रोलियम गैंस (प्रदाय और वितरण का विनियमन)आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1 सी. व 7 सी. का उल्लंघन पाये जाने से बरामद कर इसका निस्तारण करने हेतु प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया है।
2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया, फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।
3. वक्त बहस अप्रार्थी एंव अधिवक्ता हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। हमने प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम,बाड़मेर की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर का यह

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलु उपयोग के गैंस सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग में लिया गया है, जो नियमो के विरूद्ध हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैंस (प्रदाय और वितरण का विनियमन)आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1 सी व 7 सी. का उल्लंघन किया है। इसलिये इसे जब्त सरकार किया जाकर राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करवाई जाए।

4. सहायक लोक अभियोजक प्रथम की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी की उक्त व्यावसायिक होटल से घरेलु उपयोग का गैंस सिलेण्डर वक्त जॉच व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर प्रार्थी ने धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फर्द मौका जॉच बनाई जाकर कब्जे में लिया गया है। प्रस्तुत फर्द मौका जॉच से यह स्पष्ट है कि उक्त बरामद गैस सिलेण्डर 1899187 आईओसीएल कम्पनी अप्रार्थी की होटल में लगा हुआ पाया गया। जिस पर नाश्ता बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जाना पाया गया। इससे यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा इस घरेलु गैंस सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक अर्थात नाश्ता बनाने में किया जा रहा था। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त बरामद घरेलु उपयोग के गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एंव संग्रह कर द्रवित पैट्रोलियम गैंस(प्रदाय और वितरण का विनियमन)आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1 सी व 7 सी का उल्लंघन किया हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से बरामद गैस सिलेण्डर नम्बर 1899187 आईओसीएल कम्पनी को राजसात (CONFISCATE) किया जाता है। बरामद गैंस सिलेण्डर को सुपुर्दगीनामा पर मैसर्स बाड़मेर गैंस एजेंसी बाड़मेर को सुपुर्द किया गया है। गैस सिलेण्डर ऑयल कम्पनी की सम्पति है,जिन्हें बाजार में नीलामी द्वारा नहीं बेचा जा सकता है। लिहाजा उक्त गैंस सिलेण्डर सम्बन्धित आयल कम्पनी को लौटाने एंव गैस सिलेण्डर की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। घरेलु गैंस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह एंव उपयोग कर द्रवित पैट्रोलियम गैंस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप अप्रार्थी से बरामद गैंस सिलेण्डर का गैंस कनेक्शन निरस्त किया जाता है। गैंस कनेक्शन निरस्त करने हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर को पालनार्थ भेजी जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर